

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 06-12-2021

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग, संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान / उपक्रम / उद्यम / स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय / अभिकरण / राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय:- वर्ष 2022 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, उप संस्थानों एवं उप केंद्रों में चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के गहन ऑनलाइन (अल्पकालिक) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में।

महोदय / महोदया,

राजभाषा विभाग के दिनांक 10.09.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18015/6/86-रा.भा.ई में दिए गए निदेशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, उप संस्थानों एवं उप केंद्रों द्वारा मंत्रालयों/विभागों उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / लोक उद्यमों / निगमों / स्वायत्त संस्थानों, संगठनों, अभिकरणों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में नए भर्ती हुए हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत पाठ्यक्रमों के (अल्पकालिक) गहन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

2. मूलतः ये पाठ्यक्रम नए भर्ती हुए अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हैं, किंतु हिंदी प्रशिक्षण के लिए पहले से सेवारत अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करने पर, उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा, ताकि संबंधित कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि (2025) तक, प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके।

3. राजभाषा विभाग के दिनांक 22.4.2015 के का० ज्ञापन सं० 12012/3/2015-रा०भा० (नीति) में संसदीय राजभाषा समिति के 7वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 16.7 (क) पर पारित राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक / स्वायत्त निकायों / उद्यमों / अभिकरणों / निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को सरकारी कामकाज हिंदी में कार्य करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास पर आधारित नया पाठ्यक्रम पारंगत लागू किया गया है ।

सभी मंत्रालयों / विभागों आदि से अनुरोध है कि (अनुलग्नक-1) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर नामित करना सुनिश्चित करें। कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे।

कोविड परिस्थितियों के सामान्य होने पर भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण की कक्षाएं ऑफ लाइन आयोजित की जाएंगी और प्रशिक्षार्थियों का भौतिक रूप से कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत के लिए प्रशिक्षार्थी की पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार करें।

1. प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा की तिथि	पात्रता
1	प्रबोध	25 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, मिजो और अंग्रेजी भाषा-भाषी अधिकारी / कर्मचारी, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।
2.	प्रवीण	20 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें मिडिल / माध्यमिक स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
3.	प्राज्ञ	15 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह उन सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिनकी मातृभाषा उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी तथा पश्तो है और जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या दसवीं कक्षा से कम है, प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।
4.	पारंगत	20 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / उद्यमों / अभिकरणों / निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक, पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे।

विशेष :- वर्ग " घ " से वर्ग " ग " में आए कर्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में ।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा0भा0(प्र0) दिनांक 06 जनवरी, 2010 के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ग "घ" के कर्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार, वर्ग "ग" के कर्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है, अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कर्मिकों के लिए, जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, उनको पात्रानुसार हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाए। इसी अनुक्रम में पात्रानुसार, अपने कार्यालय के वर्ग "घ" से "ग" में आए कर्मिकों को भी नामित करने का कष्ट करें।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र :-

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक -II में दिए गए प्रपत्र में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम एक महीना पूर्व ई-मेल द्वारा अवश्य भिजवा दी जाए।
- विवरण दोनों भाषाओं में भरना अनिवार्य है।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो ।
- प्रशिक्षण का समय सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक निर्धारित है ।
- प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यालयों से नामित अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए, नामांकन की पुष्टि का पत्र संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक द्वारा भेजा जाता है।

प्रशिक्षण केंद्रों की सूची अनुलग्नक -III में दी गई है।

परीक्षा

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ, प्रत्येक प्रशिक्षण के अंतिम कार्य दिवस पर आयोजित की जाती हैं।
- परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रशिक्षार्थी से, पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के समय भरवाया जाता है।
- नई दिल्ली, चेन्नै (राजाजी भवन) एवं बेंगलूरू केंद्रों पर प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पारंगत की परीक्षा परंपरागत आधार पर ली जाएगी।

परीक्षा शुल्क

- ये सभी पाठ्यक्रम सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए निःशुल्क हैं, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए, उनके कार्यालयों को, हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा के लिए रु०100/-प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों को परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा करना होगा।

विशेष :- वर्ग " घ " से वर्ग " ग " में आए कार्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में ।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा0भा0(प्र0) दिनांक 06 जनवरी, 2010 के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार, वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है, अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए, जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाए। इसी अनुक्रम में पात्रतानुसार, अपने कार्यालय के वर्ग "घ" से "ग" में आए कार्मिकों को भी नामित करने का कष्ट करें।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र :-

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक -II में दिए गए प्रपत्र में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम एक महीना पूर्व ई-मेल द्वारा अवश्य भिजवा दी जाए।
- विवरण दोनों भाषाओं में भरना अनिवार्य है।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो ।
- प्रशिक्षण का समय सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक निर्धारित है ।
- प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यालयों से नामित अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए, नामांकन की पुष्टि का पत्र संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक द्वारा भेजा जाता है।

प्रशिक्षण केंद्रों की सूची अनुलग्नक -III में दी गई है।

परीक्षा

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ, प्रत्येक प्रशिक्षण के अंतिम कार्य दिवस पर आयोजित की जाती हैं।
- परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रशिक्षार्थी से, पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के समय भरवाया जाता है।
- नई दिल्ली, चैन्ने (राजाजी भवन) एवं बेंगलूरू केंद्रों पर प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पारंगत की परीक्षा परंपरागत आधार पर ली जाएगी।

परीक्षा शुल्क

- ये सभी पाठ्यक्रम सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए निःशुल्क हैं, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए, उनके कार्यालयों को, हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा के लिए रु०100/-प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों को परीक्षा शुल्क का भुगतान **उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली** में देय ड्राफ्ट द्वारा करना होगा।

नोट:- पारंगत पाठ्यक्रम की परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है ।

पाठ्य पुस्तकें

- सभी प्रशिक्षार्थी पाठ्य-पुस्तकें राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in में जा कर प्रिंट ले सकते हैं।

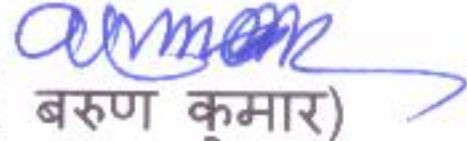
वित्तीय प्रोत्साहन

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को, 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वित्तीय वेतन प्रदान किया जाता है।
- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, नीचे दी गई तालिका के अनुसार अधिकारियों /कर्मचारियों को, नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस राशि का भुगतान, प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

क्र.सं.		प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	पारंगत
1.	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु० 1600/-	रु० 1800/-	रु० 2400/-	रु० 10,000
2.	60% या इससे अधिक, परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु० 800/-	रु० 1200/-	रु० 1600/-	रु० 7,000
3.	55% या इससे अधिक, परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु० 400/-	रु० 600/-	रु० 800/-	रु० 4,000

विशेष

- सभी मंत्रालयों / विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने सभी संबद्ध कार्यालयों, इकाइयों / शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने की कृपा करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में (2025) प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए संबंधित सहायक निदेशक के मोबाइल नं.7303848876 एवं ई-मेल chti1237@nic.in पर संपर्क करें।

भवदीय,

(डॉ. बरुण कुमार)
निदेशक

1. सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, -जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
4. संयुक्त निदेशक (मु०), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल, पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5. सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, गुवाहाटी।
6. सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन), व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. संयुक्त निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, आर.के. पुरम, सेक्टर-1 नई दिल्ली- 110066
8. सहायक निदेशक (भाषा) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली-110003
9. सहायक निदेशक(टं/आशु०) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।


(डॉ. बरुण कुमार)
निदेशक

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सत्रावधि :-

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
प्रथम	प्रबोध	25	03.01.2022 से 08.02.2022 तक
	प्रवीण	20	09.02.2022 से 09.03.2022 तक
	प्राज्ञ	15	10.03.2022 से 31.03.2022 तक

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
द्वितीय	प्रबोध	25	02.05.2022 से 07.06.2022 तक
	प्रवीण	20	08.06.2022 से 05.07.2022 तक
	प्राज्ञ	15	06.07.2022 से 26.07.2022 तक

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
तृतीय	प्रवीण	20	01.09.2022 से 28.09.2022 तक
	प्राज्ञ	15	29.09.2022 से 20.10.2022 तक
	पारंगत	20	21.10.2022 से 21.11.2022 तक

हिंदी शिक्षण योजना / केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग,
प्रशिक्षार्थी का विवरण

अनुलग्नक-II

Annexure-II

प्रशिक्षण सत्र:

कक्षा का नाम : प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत

परीक्षार्थी की स्थिति: नियमित/ गहन

क्र.सं.	विवरण / DETAILS	
1.	प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में) NAME OF CANDIDATE (BLOCK LETTERS)	
2.	लिंग (पुरुष/स्त्री) GENDER (M/F)	
3.	पिता/पति का नाम (हिंदी में) FATHER'S/HUSBAND'S NAME	
4.	प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में) DESIGNATION OF CANDIDATE	
5.	मातृ भाषा MOTHER TOUNGE	
6.	हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर: दसवीं से अधिक/आठवीं से अधिक दसवीं से कम/ पांचवी से अधिक आठवीं से कम/ पांचवी से कम/ प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ KNOWLGDE OF HINDI ABOVE 10 th / ABOVE 8 th LESS THAN 10 th / ABOVE 5 th LESS THAN 8 th / LESS THAN 5 th /PRABODH/PRAVEEN/PRAGYA	
7.	मंत्रालय (हिंदी में) NAME OF MINISTRY (IN ENGLISH)	
8.	विभाग का नाम (हिंदी में) NAME OF DEPARTMENT	
9.	नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम NAME & DESIGNATION OF THE NOMINATING OFFICER	
10.	कार्यालय का पूरा पता (हिंदी में): ई मेल/ दूरभाष FULL OFFICE ADDRESS WITH E.MAIL ID/ PHONE	
11.	कार्मिक का दूरभाष व ईमेल आई डी: EMPLOYEE E.MAIL ID & MOBILE /PHONE	
12.	आधार सं०- ADHHAR NO.	
13.	परीक्षा शुल्क भरने का विवरण DETAILS (IF DOESN'T BELONG TO A DIREVT CENTRAL GOVT OFFICE/ DEPT.	
14.	AMOUNT: DETAILS OF PAYMENT BANK DRAFT NUMBER DATE NAME OF BANK BANK BRANCH	

नोट:- विवरण दोनों भाषाओं में भरना अनिवार्य है/ IT IS MANDATORY TO FILL THE FORM IN BILINGUAL
: कृपया अंग्रेजी का विवरण केवल(BLOCK LETTERS) में ही भरें।

(प्रशिक्षण केंद्रों की सूची)

1. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, कमरा नं. 449-ए उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011
(दूरभाष 011-23063321 एक्स. 2207 फ़ैक्स 011-23062626)
2. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, राजाजी भवन, ई-3सी ब्लॉक, बेसंट नगर, चेन्नै -600090.(दूरभाष 044-24918904)
3. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप केंद्र , द्वितीय तल, केंद्रीय सदन कोटि, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095(दूरभाष 040-24747211)
4. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप केंद्र, बी विंग, 5वाँ तल, केंद्रीय सदन, 17वाँ मेन रोड, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूर-560034 (फ़ैक्स 080-25537089)
(दूरभाष सं. 080- 25537087)
5. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, केंद्रीय सदन, सी विंग, छठा माला, सी.बी.डी बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष-022-27572705, 27572706)
फ़ैक्स नं. 022-27565417
6. उप निदेशक(पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, द्वितीय बहुतलीय भवन, 18वाँ तल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700020 (दूरभाष -033-22870793 और 22890038) फ़ैक्स नं. 033-22870793
7. सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं पोस्टमास्टर जनरल, सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, गहन भाषा प्रशिक्षण उप केंद्र वडोदरा- 390002

संपर्क सूत्र :-

1.	2.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 7वाँ तल, पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन, बी ब्लॉक, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष सं. 011-24361852 फैक्स सं. 011-24361852 ई-मेल- dirhti-dol@nic.in	सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, कक्ष सं० 449-ए, चौथा तल, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011 दूरभाष सं. 011-23063321 एक्स० नं० 2207 मो० 7303848876 मेल- chti1237@nic.in